

संलग्नक - 6

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबन्धक
ग्रीन लाईट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, अभिपुरा, ब्लाक-नजीबाबाद
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/ 107781 /2012-13

दिनांक 15/5/12

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं ग्रीन लाईट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, अभिपुरा, ब्लाक-नजीबाबाद (बिजनौर) (विद्यालय का नाम-पते सहित) को तारीख 1-7-2011 से तारीख 30-6-2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-06 से कक्षा-08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता - पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

लेना में,

प्रबंधक,
श्रीम लार्डेट पब्लिक प्राइमरी स्कूल, अजीपुरा, ब्लाक-नजीबाबाद
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/S.S.No-7/ /2007-08

दिनांक/5-12-2007

विषय:- विद्यालय को प्राइमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक)की नवीन अस्थायी मान्यता दिने जाने के संबंध में।

सहोदर,


उपरोक्त विषयक सूच्य है कि आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता दिने जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर(कक्षा-1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या 1837/15-28-18(एए)-7/89 दिनांक 10 सितम्बर,1998 में दिने गये निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

- 1-विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे कोजी0,नरीशे,आदि का संचालन न किया जाय।
- 2-विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
- 3-विद्यालय में आकर्षिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।
- 4-छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
- 5-विद्यालय में विभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाय।
- 6-विद्यालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
- 7-विद्यालय में अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जायें। अप्रशिक्षित शिक्षकों को छोटे हुए विद्यालय को स्थायी मान्यता दिया जाना सम्भव न होगा।

- 8-विद्यालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
- 9-यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बन्ध नहीं होगा।
- 10-स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विद्यालय का अपना निजी भवन होना, समस्त अध्यापक प्रशिक्षित होना एवं भवन में समस्त कमरे पक्के पूर्ण होना,अनिवार्य है।

अदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा दिने गये निर्देशों का आपका द्वारा पालन नहीं किया जाता है,तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

भवदीय


(वरुण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पू०सं०/बेसिक/ /2007-08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद-बिजनौर।
- 2-संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद-बिजनौर।

(वरुण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी